सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 17, गुरूवार, शाके 1944-अप्रेल 7, 2022 *Chaitra 17, Thursday , Saka 1944- April 7, 2022*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 6, 2022

संख्या प.2(14)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रेल, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान राज्य अनु सूचित जाति और अनु सूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 8)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रेल, 2022 को प्राप्त हुई)

वार्षिक बजट में कतिपय रकम को अनु सूचित जाति विकास निधि और अनु सूचित जनजाति विकास निधि के रूप में निश्चित करके राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रत्यक्ष और परिमाणात्मक फायदे सुनिश्चित करने और उन निधियों का उपयोग फोकस सेक्टरों में अपेक्षित संस्थागत तंत्र को सृजित करने के लिए और उनसे संसक्त या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "वार्षिक बजट" से राज्य विधान मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित राज्य का कुल स्कीम व्यय बजट अभिप्रेत है;

(ख) "विभाग" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है;

(ग) "सशक्त समितियां (स.स.)" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए धारा 7 के अधीन गठित राज्य स्तरीय समितियां अभिप्रेत हैं;

(घ) "विकास में अंतराल" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास सूचकों की जब राज्य के औसत से तुलना की जाये तो उनका अंतर अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(च) "नोडल विभाग" से राज्य सरकार का, अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अभिप्रेत है;

(छ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूचित क्षेत्रों" से भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग ग के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ञ) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) के अधीन क्रमश: समनुदेशित अर्थ होगा;

(ट) "अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.)" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास के लिए धारा 3 के अधीन वार्षिक बजट में यथा निश्चित कतिपय रकम अभिप्रेत है;

(ठ) "अनु सूचित जाति उप-योजना (अ.जा.उ.यो.)" से राजस्थान विनियोग अधिनियम में यथा उपबंधित मांग संख्या-51 और लघु शीर्ष-789 के अधीन राज्य का कुल स्कीम व्यय बजट अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य परिषदों" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए, धारा 5 के अधीन गठित राज्य परिषदें अभिप्रेत हैं; और

(ण) "जनजाति उप-योजना (ज.जा.उ.यो.)" से राजस्थान विनियोग अधिनियम में यथा उपबंधित मांग संख्या-30 और लघु शीर्ष-796 के अधीन राज्य का कुल स्कीम व्यय बजट अभिप्रेत है।

अध्याय 2

अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिए कतिपय रकम का निश्चित किया जाना और स्कीमों को तैयार किया जाना

3. अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिए कतिपय रकम का निश्चित किया जाना.- (1) राज्य सरकार वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए कतिपय रकम निश्चित करेगी।

(2) राज्य सरकार अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) में रखे जाने वाली कुल रकम के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर पृथक् आदेश जारी करेगी:

परन्तु अनुसूचित जाति उप-योजना (अ.जा.उ.यो.) और जनजाति उप-योजना (ज.जा. उ.यो.) आबंटन, वार्षिक बजट का अनुपात होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.जन.जा.) के जनसंख्या अनुपात के बराबर होगा।

4. स्कीमों को तैयार किया जाना और उनका अनुमोदन.- (1) विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में साम्या की अभिवृद्धि करने के लिए अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे और नोडल विभागों को भेजेंगे।

(2) नोडल विभाग ऐसे विभागों से इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के अधीन प्रस्तावों को सशक्त समितियों (स.स.) को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) नोडल विभाग और लाइन विभाग ऐसी स्कीमों के लिए निधि का प्रस्ताव करेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऐसे प्रत्यक्ष और परिमाणात्मक फायदे सुनिश्चित करे जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में यथा अधिकथित मानकों का अनुसरण करते हुए विकास सूचकों में अंतरालों को पाटने की संभावना रखते हैं।

(4) सशक्त समितियां (स.स.) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में अधिकथित मानकों के अनुसार अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए स्कीमों का अनुमोदन करेंगी।

अध्याय 3

संस्थागत व्यवस्थाएं

5. राज्य परिषदें.- राज्य सरकार, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए, इस अधिनियम का प्रारंभ होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, राज्य परिषदों, यथा अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) के लिए राज्य अनुसूचित जाति विकास परिषद् और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद्, का गठन करेगी। राज्य परिषदों में, राज्य विधान-मण्डल में की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या इतनी होगी, जो विहित की जाये।

6. राज्य परिषदों के कृत्य.- राज्य परिषदें,-

(क) अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देंगी;

(ख) विभागों द्वारा स्कीमों की उचित योजना और कार्यान्वयन के लिए अध्युपाय सुझायेंगी; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेंगी, जैसेकि विहित किये जायें।

7. सशक्त समितियां और नोडल विभाग.- (1) राज्य सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, प्रत्येक के विकास के लिए सशक्त समितियों का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक सशक्त समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जायेगी।

(3) सशक्त समितियों का गठन ऐसा होगा, जैसाकि विहित किया जाये।

(4) (क) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सशक्त समिति का संयोजक होगा।

(ख) सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सशक्त समिति का संयोजक होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो।

(5) संबंधित नोडल विभाग संबंधित सशक्त समिति की, उनकी शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कृत्यों का पालन करने में सहायता करेगा।

8. सशक्त समितियों के कृत्य.- संबंधित नोडल विभाग की सहायता से संबंधित सशक्त समिति,-

(क) अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के माध्यम से निधि उपलब्ध करवाने के लिए वि भिन्न लाइन विभाग द्वारा उद्भूत किये जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों का मूल्यांकन और अंकन करेगी;

(ख) अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजाति उप-योजना के कार्यान्वयन और मानीटरिंग का पुनर्विलोकन करेगी;

(ग) अड़चनों की पहचान करेगी और अड़चनों को दूर करने के लिए अध्युपाय सुझायेगी; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जैसेकि विहित किये जायें।

9. नोडल विभाग के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सहायता इकाई.- राज्य सरकार नोडल विभागों को उन्हें समनुदेशित कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सहायता इकाई के द्वारा, जो वि हित की जाये, समुचित रूप से मजबूत करेगी।

अध्याय 4

पारदर्शिता और जवाबदेही

10. पारदर्शिता और जवाबदेही.- प्रत्येक विभाग अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के अधीन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में समस्त स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

11. वार्षिक रिपोर्ट.- नोडल विभाग अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के क्रियान्वयन के परिणाम पर एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखेगा।

अध्याय 5

विविध

12. नियम बनाने की शक्ति.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या इनमें से किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 3 के अधीन अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए कतिपय रकम निश्चित करना;

(ख) धारा 4 के अधीन स्कीमों और प्रस्तावों को तैयार करने और उनके अनुमोदन के लिए मानक;

(ग) धारा 5 के अधीन राज्य परिषदों का गठन;

(घ) धारा 7 के अधीन सशक्त समितियों का गठन; और

(ङ) धारा 9 के अधीन प्रशासनिक और तकनीकी सहायता इकाई।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि, उन सत्रों की, जिनमें वह इस प्रकार रखा जाता है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

13. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

प्रवीर भटनागर,

प्रमुख शासन सचिव।